

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

शिविरा-मा./अनु.नियु./ए-4/61233/प्रशास ग्रेड-III/अनुमोदन/2025 दिनांक:- यथा हस्ताक्षरित

समस्त संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा

विषय :- अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रकरणों के परीक्षणार्थ नवीन जाँच सूची जारी करने के क्रम में।

उपर्युक्त विधान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग ने दिनांक 16.07.2021 द्वारा परिपत्र जारी कर निर्देश प्रदान किये हैं कि प्रत्येक प्रकरण में केस प्रभारी नियुक्त किया जाकर समयबद्ध प्रकरण का निस्तारण किया जावे। इस कार्य बाबत पूर्व में विभागीय आदेश दिनांक 05.03.2022 से प्रकरणों के तत्काल निस्तारण एवं प्राबोधन के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रभारी नियुक्त किए गये हैं। तदुपरांत भी यह ध्यान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है और प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, जो कि न केवल गंभीर लापरवाही को इंगित करता है वरन् असंवेदनशीलता को भी प्रदर्शित करता है।

इस संबंध में अनुकंपा प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण तथा नियमानुसार परीक्षण कर आवेदन पत्र अग्रेषण हेतु चैकलिस्ट निर्धारित है। प्रकरण में लौटा फेरी ना होने तथा निस्तारण हेतु चैक लिस्ट में परीक्षण कर भेजने चाहिए परन्तु बहुत से प्रकरणों में चैकलिस्ट से जाँच किये बिना ही नियुक्ति की अनुशंषा कर अनुकम्पा नियुक्ति प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाये जा रहे हैं। कई प्रकरण तो अपात्र आवेदकों के प्रकरण भी नियुक्ति हेतु भिजवा दिये जाते हैं। अनुकम्पात्मक नियुक्ति का मूल उद्देश्य पीड़ित परिवार को तुरंत राहत प्रदान करना है। अनावश्यक विलम्ब सरकार के उद्देश्य को प्रभावित करता है।

अतः उपर्युक्त क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि अनुकम्पा नियुक्ति नियम-1996, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 16.07.2021 व इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.03.2022 के अनुशरण में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कार्यालय स्तर पर निर्धारित कार्यवाही सुनिश्चित कर, सलंगन चैक लिस्ट सूची अनुसार परीक्षण करें तथा परीक्षण उपरांत अपनी स्पष्ट अनुशंषा सहित प्रकरण निदेशालय भिजवावें। बिना परीक्षण किए तथा अनावश्यक विलम्ब से प्रकरण प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी।

संलग्न :-

- नवीन चैक लिस्ट प्रारूप
- परिपत्र दिनांक 16.07.2021
- पत्र दिनांक 05.03.2022

(आशीष मोदी)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

जाँच सूची

मृतक का नाम	
मृतक का पद नाम	
मृतक का पदस्थापन स्थान	
मृतक की मृत्यु तिथि	
मृतक कार्मिक से आवेदक का संबंध	
आवेदित पद का नाम वेतनमान	
आवेदक का नाम	
आवेदक की जन्म तिथि	
प्रथम आवेदन तिथि	
प्रथम आवेदन की दिनांक को आवेदक की आयु	
आवेदक की शैक्षणिक योग्यता	
आवेदित पद के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करता है अथवा नहीं	
प्रथम बार आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि निर्धारित समयावधि में है अथवा नहीं	

क्र.स.	जाँच के बिन्दु	पूर्ण/नहीं	संलग्नक संख्या
01	परिशिष्ट-01 पूर्ण भरकर परीक्षणोंपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) तथा संयुक्त निदेशक की स्पष्ट अनुशंसा		
02	आवेदन पत्र में समस्त प्रविष्टियाँ मय प्रमाणन अंकित है/नहीं		
03	सेवा नियमित एवं निरंतर होने का प्रमाण पत्र		
04	मृतक के आश्रित परिवार के संबंध में नियम-5 का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र		
05	आवेदक विवाहित होने पर आवेदक के परिवार के संबंध में नियम-5 का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र		
06	अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में कार्मिक के अविवाहित होने का जिशिअ का प्रमाण पत्र		
07	अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में आवेदक के अविवाहित होने का जिशिअ का प्रमाण पत्र		
08	अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित होने का जिशिअ का प्रमाण पत्र		
09	मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल)		
10	सेवा समाप्ति आदेश की प्रमाणित प्रति		
11	आवेदक की आयु का प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक योग्यताएँ		
12	मृतक आश्रित परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों की सहमति का शपथ पत्र		
13	आवेदक सहित मृतक आश्रित परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों के अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के नियम 05 का शपथ-पत्र		
14	आवेदक के विवाहित होने पर आवेदक एवं आवेदक की पत्नी के नियम 05 के शपथ-पत्र		
15	आवेदक का मृतक आश्रित परिवार की पेंशन राशि सहित आय का शपथ-पत्र		
16	अन्य आश्रित नियुक्ति का हकदार नही होने का आवेदक का शपथ-पत्र		
17	मृतक आश्रित परिवार के भरण-पोषण के संबंध में आवेदक का शपथ-पत्र		

18	<ul style="list-style-type: none"> ● आवेदक अविवाहित होने पर अविवाहित होने का शपथ-पत्र ● आवेदक परित्यक्ता/विधवा पुत्री होने पर पुनर्विवाह नहीं किया है, का शपथ पत्र 		
19	आवेदक पत्नी/पति होने की स्थिति में पुनः विवाह नहीं किया है का शपथ पत्र		
20	शिथिलन की स्थिति में मृतक परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति का आवेदक का शपथ पत्र।		
21	शिथिलन की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) के संतुष्ट होने पर दयनीय आर्थिक स्थिति का जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) का प्रमाण-पत्र, क्रमांक/दिनांक मय स्पष्ट अनुशंषा		
22	आवेदक द्वारा आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है तो औचित्य सहित शपथ-पत्र		
23	आवेदक के विवाहित होने पर बच्चों की जन्मतिथि सहित आवेदक का सन्तान सम्बन्धी शपथ-पत्र		
24	आवेदक/मृतक/आश्रितों के नाम/उपनाम में विसंगति के सम्बन्ध में आवेदक का शपथ-पत्र		
25	अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में मृतक कार्मिक के अविवाहित होने का आवेदक का शपथ पत्र		
26	अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में आवेदक के अविवाहित होने का आवेदक का शपथ पत्र		
27	अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित होने का आवेदक का शपथ पत्र।		
28	अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में कार्मिक के परिवार का वंशवृक्ष		
29	विभाग द्वारा आवेदन पत्र विलम्ब से भिजवाया जा रहा है तो औचित्य सहित कारण स्पष्ट करते हुए दोषी के विरुद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव		
30	कार्मिक/आश्रित परिवार के सदस्यों के दो पृथक नामों के संबंध में वैधानिक दस्तावेज		
31	अन्य राज्य की शैक्षणिक योग्यता होने की स्थिति में शैक्षणिक दस्तावेजों का संबंधित बोर्ड से वैधता प्रमाणन		
32	आवेदक द्वारा नियुक्ति हेतु चाहे गये जिले (वरीयतानुसार समस्त जिले) हेतु विकल्प पत्र।		
33	प्रकरण की प्रकृति, (यथा दत्तकपुत्र/पुत्री/विवाहित पुत्री/परित्यक्ता पुत्री, कार्मिक के दो पत्नी होने की स्थिति अथवा गर्भस्थ शिशु/लापता कार्मिक)संलग्न दस्तावेजों, परिस्थितियों के आधार पर नियमानुकुल आक्षेप।		

प्रारूप बिन्दु संख्या-04

मृतक के आश्रित परिवार के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी/विभागाध्यक्ष स्वयं द्वारा कमांक/दिनांक सहित निर्धारित भाषा में नियम-5 का प्रमाण-पत्र :-

- यह कि स्व. के आश्रित परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय तथा वर्तमान में भी नियमित आधार पर नियोजित नहीं हैं एवं ना ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई है।

प्रारूप बिन्दु संख्या-05

जिला शिक्षा अधिकारी/विभागाध्यक्ष स्वयं द्वारा कमांक/दिनांक सहित निर्धारित भाषा में आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में नियम-5 का प्रमाण-पत्र :-

- यह कि स्व..... के आश्रित पुत्र श्री..... के आश्रित परिवार में आवेदक की पत्नी/पति/पुत्र व अविवाहित पुत्री सहित आश्रित परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय तथा वर्तमान में भी नियमित आधार पर नियोजित नहीं हैं एवं ना ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई है।
(यदि आवेदक विवाहित है तो)

प्रारूप बिन्दु संख्या-06

- अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में कार्मिक के अविवाहित होने का जिला शिक्षा अधिकारी का स्वयं द्वारा कमांक/दिनांक सहित प्रमाण-पत्र जिसमें स्पष्ट अंकित हो कि मृतक कार्मिक की मृत्यु के समय कार्मिक अविवाहित था।

प्रारूप बिन्दु संख्या-07

- अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में आवेदक के अविवाहित होने का जिला शिक्षा अधिकारी का स्वयं द्वारा कमांक/दिनांक सहित प्रमाण-पत्र जिसमें स्पष्ट अंकित हो कि मृतक कार्मिक की मृत्यु के समय एवं वर्तमान में आश्रित आवेदक अविवाहित है।

प्रारूप बिन्दु संख्या-08

- अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में मृतक कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित होने का जिला शिक्षा अधिकारी का स्वयं द्वारा कमांक/दिनांक सहित प्रमाण-पत्र। जिसमें स्पष्ट अंकित हो कि आवेदकमृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय मृतक कार्मिक पर पूर्णतः आश्रित था।

प्रारूप बिन्दु संख्या-12

- यह कि यदि विभाग द्वारा आवेदक श्री/श्रीमती/सुश्री.....को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाती है तो मुझे व मृतक के शेष आश्रितों को कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसके लिए अपनी सहमति प्रदान करती/करता हूँ।

प्रारूप बिन्दु संख्या-13

मृतक आश्रित परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों के अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के नियम 05 के अनुसार शपथ-पत्र :-

- यह कि स्व. के आश्रित परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय तथा वर्तमान में भी नियमित आधार पर नियोजित नहीं हैं एवं ना ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई है।

प्रारूप बिन्दु संख्या-14

आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदक एवं आवेदक की पत्नी के नियम 05 के अनुसार शपथ-पत्र

- यह कि मेरे आश्रित परिवार में, मैं स्वयं, मेरी पत्नी/पति एवं पुत्र/अविवाहित पुत्री में से कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय तथा वर्तमान में भी नियमित आधार पर नियोजित नहीं हैं एवं ना ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई है। (यदि आवेदक विवाहित है तो)

प्रारूप बिन्दु संख्या-15

- स्व.....के स्वर्गवास के पश्चात् हमारे परिवार की मासिक आय पेंशन सहित निम्नानुसार हैं। यह कि उपरोक्त के अलावा अन्य कोई आय का स्रोत नहीं है।

क्र.सं.	नाम	मृतक से संबंध	आय	विवाहित/अविवाहित	मासिक आय रूपये
मृतक आश्रित परिवार के सभी सदस्यों के नाम					

प्रारूप बिन्दु संख्या-16

आवेदक का मृतक आश्रित परिवार का अन्य कोई आश्रित नियुक्ति का हकदार नहीं होने के संबंध में निम्नानुसार शपथ-पत्र :-

- यह कि यदि मुझे विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाती है तो इसके बाद मृतक का अन्य कोई आश्रित नियुक्ति का हकदार नहीं होगा ना ही आश्रित नियुक्ति का क्लेम करेगा।

प्रारूप बिन्दु संख्या-17

आवेदक का मृतक आश्रित परिवार का भरण पोषण के संबंध में निम्नानुसार शपथ-पत्र :-

- आवेदक का भरण पोषण के संबंध में शपथ पत्र जिसमें स्पष्ट अंकित हो कि मैं मृतक कर्मचारी के आश्रितों का भरण-पोषण करूंगा। यदि मैं मृतक कर्मचारी के आश्रितों का भरण पोषण नहीं करता हूं तो मेरी नियुक्ति समाप्त कर दी जावे।

प्रारूप बिन्दु संख्या-18

आवेदक का अविवाहित एवं पुनर्विवाह नहीं करने के संबंध में निम्नानुसार शपथ-पत्र :-

- आवेदक का शपथ पत्र जिसमें स्पष्ट अंकित हो कि स्व. के निधन के पश्चात मैं आदिनांक तक अविवाहित हूँ। (यदि आवेदक अविवाहित है तो)
- आवेदक का शपथ पत्र जिसमें स्पष्ट अंकित हो कि स्व. के निधन के पश्चात मैंने आदिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किया है।(यदि आवेदिका परित्यक्ता/विधवा है तो)

प्रारूप बिन्दु संख्या-19

आवेदक विधवा/विधुर होने की स्थिति में पुनर्विवाह नहीं करने के संबंध में निम्नानुसार शपथ-पत्र :-

- यह कि स्व. के निधन के पश्चात् मैंने आदिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

प्रारूप बिन्दु संख्या-20

- यह कि स्व. के निधन के पश्चात् मृतक आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है तथा स्व.....के स्वर्गवास के पश्चात् हमारे परिवार की मासिक आय पेंशन सहित निम्नानुसार है। यह कि उपरोक्त के अलावा अन्य कोई आय का स्रोत नहीं है।

क्र.सं.	नाम	मृतक से संबंध	आय	विवाहित/अविवाहित	मासिक आय रुपये
मृतक आश्रित परिवार के सभी सदस्यों के नाम					

प्रारूप बिन्दु संख्या-21

- शिथिलन की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) के संतुष्ट होने पर दयनीय आर्थिक स्थिति का जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) का प्रमाण-पत्र, क्रमांक/दिनांक मय स्पष्ट अनुशंसा। मृतक कार्मिक के परिवार की आर्थिक स्थिति का मेरे स्वयं द्वारा परीक्षण कर लिया गया है कार्मिक की मृत्यु उपरान्त मृतक आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है। जिससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ मेरे द्वारा इनकी अनुकम्पात्मक नियुक्ति की अनुशंसा की जाती है।

प्रारूप बिन्दु संख्या-22

- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने का पूर्ण औचित्य सहित शपथपत्र जिसमें स्पष्ट हो कि मृतक कार्मिक की मृत्यु के समय निर्धारित 90 दिन में आवेदन नहीं करने तथा विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत करने का औचित्य पूर्ण कारण अंकित करे।

प्रारूप बिन्दु संख्या-23

- दिनांक 01.06.2002 को व दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों पुत्र/पुत्री की संख्याथी ।

क्र.सं.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्मतिथि
बच्चों पुत्र/पुत्री का विवरण			

- दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

अथवा

- दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है व वर्तमान में मेरे बच्चों पुत्र/पुत्री की कुल संख्या.....है।(यदि आवेदक/आवेदिका विवाहित है तो)

प्रारूप बिन्दु संख्या-24

-व.....दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं जो नाम के ही हैं। भविष्य में यदि इस संबंध में कोई आपत्ति/आक्षेप किया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। यदि इस संबंध में असत्यता पाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार विभाग को होगा।

(यदि नाम/उपनाम विसंगति होने की स्थिति में)

प्रारूप बिन्दु संख्या-25

अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में कार्मिक के अविवाहित होने का आवेदक का शपथ पत्र

- मृतक कर्मचारी स्व.मृत्यु दिनांक.....तक अविवाहित था/थी।

प्रारूप बिन्दु संख्या-26

अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में आवेदक के अविवाहित होने का आवेदक का शपथ पत्र

- आश्रित आवेदकमृतक कार्मिक की मृत्यु के समय एवं वर्तमान में अविवाहित है।

प्रारूप बिन्दु संख्या-27

अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में मृतक कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित होने का आवेदक का शपथ पत्र

- आवेदकमृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय मृतक कार्मिक पर पूर्णतः आश्रित था।

प्रारूप बिन्दु संख्या-28

- अविवाहित कार्मिक के आश्रित के प्रकरणों में कार्मिक के परिवार का वंश वृक्ष के संबंध में दस्तावेज(सक्षम स्तर द्वारा जारी)

प्रारूप बिन्दु संख्या-29

- विभाग द्वारा आवेदन पत्र विलम्ब से भिजवाया जा रहा है तो औचित्य सहित कारण स्पष्ट करते हुए दोषी के विरुद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव

प्रारूप बिन्दु संख्या-30

- कार्मिक/आश्रित परिवार के सदस्यों के दो पृथक नामों के संबंध में वैधानिक दस्तावेज यथा गजट नोटिफिकेशन

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

शिविरा-मा./अनु.नियु./ए-4/61233/प्रशास ग्रेड-III/अनुमोदन/2025 दिनांक:- यथा हस्ताक्षरित

समस्त संयुक्त निदेशक

स्कूल शिक्षा

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा

विषय :- अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रकरणों के परीक्षणार्थ नवीन जाँच सूची जारी करने के क्रम में।

उपर्युक्त विधान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग ने दिनांक 16.07.2021 द्वारा परिपत्र जारी कर निर्देश प्रदान किये हैं कि प्रत्येक प्रकरण में केस प्रभारी नियुक्त किया जाकर समयबद्ध प्रकरण का निस्तारण किया जावे। इस कार्य बाबत पूर्व में विभागीय आदेश दिनांक 05.03.2022 से प्रकरणों के तत्काल निस्तारण एवं प्राबोधन के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रभारी नियुक्त किए गये है। तदुपरांत भी यह ध्यान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है और प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, जो कि न केवल गंभीर लापरवाही को इंगित करता है वरन् असंवेदनशीलता को भी प्रदर्शित करता है।

इस संबंध में अनुकंपा प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण तथा नियमानुसार परीक्षण कर आवेदन पत्र अग्रप्रेषण हेतु चैकलिस्ट निर्धारित है। प्रकरण में लौटा फेरी ना होने तथा निस्तारण हेतु चैक लिस्ट में परीक्षण कर भेजने चाहिए परन्तु बहुत से प्रकरणों में चैकलिस्ट से जाँच किये बिना ही नियुक्ति की अनुशंषा कर अनुकम्पा नियुक्ति प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाये जा रहे है। कई प्रकरण तो अपात्र आवेदकोंके प्रकरण भी नियुक्ति हेतु भिजवा दिये जाते है। अनुकम्पात्मक नियुक्ति का मूल उद्देश्य पीड़ित परिवार को तुरंत राहत प्रदान करना है। अनावश्यक विलम्ब सरकार के उद्देश्य को प्रभावित करता है।

अतः उपर्युक्त क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि अनुकम्पा नियुक्ति नियम-1996, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 16.07.2021 व इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.03.2022 के अनुशरण में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कार्यालय स्तर पर निर्धारित कार्यवाही सुनिश्चित कर, सलग्न चैक लिस्ट सूची अनुसार परीक्षण करें तथा परीक्षण उपरांत अपनी स्पष्ट अनुशंषा सहित प्रकरण निदेशालय भिजवावें। बिना परीक्षण किए तथा अनावश्यक विलम्ब से प्रकरण प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी।

संलग्न :-

- नवीन चैक लिस्ट प्रारूप
- परिपत्र दिनांक 16.07.2021
- पत्र दिनांक 05.03.2022

(आशीष मोदी)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर एवं पदेन

अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान (समसा)